(297)

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/3121

नीलम सिंह पुत्र वीरनसिंह यादव निवासी ग्राम करैयावनेट तहसील व जिला अशोकनगर म0प्र0

——— आवेदक

श्री एस. पी. धाकड़ ए. द्वारा आज दि. 04.09.2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4.9.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. राजाराम पुत्र फूलसिंह यादव
2. संग्राम सिंह पुत्र मेहरवानसिंह यादव निवासी ग्राम करैयावनेट तहसील अशोकनगर म0प्र0

——— अनावेदकगण

4.9.17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु0वि0अधि0 अशोकनगर के प्र.क. 03/अपील/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2017 के विरूद्ध जानकारी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ... करैयावनेट की भूमि सर्वे क्र. 146/1 रकबा 0.779 हेक्टर भूमि का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/3121 जिला–अशोकनगर

नीलमसिंह विरूद्ध राजाराम अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाशकों आदि के हस्ताक्षर
30.08.2019	प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला–अशोकनगर के प्रकरण कमांक 03/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा –54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला– अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30.09.2019 को कलेक्टर, अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (जे0के0 जैन) सदस्य	